

06⁶/₂₄ पत्रावली पेश हुई। चाकी एवं उनके
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के
अन्तर्गत के अनुसार तीन बार आवगें
लगाने के बावजूद चाकी व उनके
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः
पत्रावली अक्षम हाजरी एवं अक्षम
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
केसब शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कार्यालय एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली